



सत्यमेव जयते

सुषमा स्वराज  
*Sushma Swaraj*



### संदेश

मुझे 24 जून, 2016, को चौथे पासपोर्ट सेवा दिवस के आयोजन के अवसर पर भारत और विदेशों में स्थित मिशनों/केन्द्रों में कार्यरत अपने सभी पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारियों को बधाई देते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन पासपोर्ट अधिनियम, 1967 अधिनियमित हुआ था, जिससे हमें पासपोर्ट जारी करने का प्राधिकार प्राप्त हुआ। विदेश मंत्रालय तथा इसका अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन इस अवसर को यादगार क्षण के रूप में स्वीकारें और बेहतर पासपोर्ट सेवा समय से विश्वसनीय एवं दक्षतापूर्ण ढंग से प्रदान करने के प्रति अपनी संकल्पना को नए उत्साह से कार्यान्वित करें।

बीते वर्ष के दौरान पासपोर्ट से संबंधित सेवाएं प्रदान करने में मंत्रालय का कार्यनिष्पादन कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा है। वर्ष 2015 में पासपोर्ट से संबंधित 1.2 करोड़ से भी अधिक आवेदन-पत्रों पर कार्यवाई की गई जो वर्ष 2014 की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक रहा। पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों में पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र कार्यशील किए गए हैं और उन्हें पासपोर्ट सेवा प्रणाली से जोड़ा गया है। यह संतोष का विषय है कि अब पूरे भारत के पासपोर्ट कार्यालय 7 दिनों के भीतर समय देने में सक्षम हैं। मंत्रालय ने देश भर में अनेक पासपोर्ट सेवा शिविरों का आयोजन करके पासपोर्ट सेवाओं को नागरिकों के लिए ज्यादा सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास किया है। इस बात की भी सराहना की जानी चाहिए कि पासपोर्ट कार्यालयों ने नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए सप्ताहांतों के दौरान पासपोर्ट मेलों का आयोजन किया। साथ ही यह मंत्रालय रचनात्मक तरीके अपनाकर पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए प्रयासरत है।

हमारी सरकार अपने नागरिकों को सुविधाजनक, जवाबदेह और पारदर्शी तरीके से पासपोर्ट संबंधी सेवाएं प्रदान करने में न्यूनतम शासन, अधिकतम सुशासन के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है। एम-पासपोर्ट पुलिस ऐप प्रारंभ करना और ट्वीटर सीआरएम (ग्राहक संबंध प्रबंधन) मंच की शुरुआत इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहे हैं।

इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर आइए हम सब अपने नागरिकों को और अधिक समर्पण, और महत्व के साथ ही पारदर्शी और पेशेवर ढंग से पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं।

*Sushma Swaraj*

सुषमा स्वराज